



Neutral Citation No. -2026: AHC:124285

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18887/2026

इन्द्रजीत सैनी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: अश्वनी त्रिपाठी, रामानुज त्रिपाठी

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र भी अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री अश्वनी त्रिपाठी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री उमा शंकर मिश्र तथा प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री आशुतोष तिवारी को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को वाद अपराध संख्या 163/2026, अंतर्गत धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 5(जे)(2)/6 पॉक्सो अधिनियम, थाना-क्वार्सी, जनपद-अलीगढ़ में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा उसके विरुद्ध कोई अभियोजनात्मक सामग्री उपलब्ध नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने कथन में आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है तथा उसने कहा है कि उसका आवेदक के साथ प्रेम प्रसंग था और उसके द्वारा स्थापित शारीरिक संबंध उसकी सहमति से थे। आवेदक दिनांक 21.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि, उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।
5. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, तथापि, यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के अनुसार पीड़िता की आयु

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17 वर्ष है, जबकि, उसकी वास्तविक आयु 19 वर्ष है और इस संबंध में संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र के साथ एक शपथपत्र भी दाखिल किया गया है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध किया।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक पर प्रथम सूचनाकर्ता की लगभग 17 वर्ष आयु की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप है, तथापि, पीड़िता बरामद हो चुकी है और उसने आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है तथा संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र में, दाखिल शपथपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि पीड़िता की वास्तविक आयु 19 वर्ष है।

8. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए तथा कारागारों में अत्यधिक भीड़ एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक वादों की भारी लंबित संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित, के निर्णय में निहित निर्देश तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन आल 6765** में प्रतिवेदित, में प्रतिपादित जमानत संबंधी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

9. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **इन्द्रजीत सैनी** को न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक किसी स्थगन की मांग किए बिना विचारण/अन्वेषण में निष्ठा से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का एक आधार होगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, हैसियत तथा निवास संबंधी प्रमाणों का सत्यापन किया जाएगा। आवेदक एवं जमानतदारों के मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा कराया जाएगा।
13. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।
14. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किए जाने की नीतिगत रणनीति, *इन री: स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) सं. 4/2021*, में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 31.01.2023 को निर्णीत, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, के अनुपालन में इस आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को प्रेषित की जाए।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

01 जून, 2026

अभिषेक